न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ (जिला श्रीगंगानगर)

पीठासीन अधिकारी :— दीनानाथ बब्बल (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या —52/2015 दायर दिनांक 06.07.2015 GCMS CASE NO-2015/00099

भीखाराम पुत्र हरलाल जाति ब्राहमण साकिन पीपासर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

—अपीलांट

बनाम

तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़ —रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट. 1956 सपठित धारा 23 कॉलो एक्ट 1954

उपस्थित—

1. श्री राजवीर भादू, अधिवक्ता अपीलांट
2. पैरोकार राज, रेस्पोडेंट की ओर से

दिनांक : 27.04.2026

—::निर्णय::—

अपीलांट द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर रेस्पोडेंट तहसीलदार सूरतगढ़ के आदेश दिनांक 09.07.1976 जिसके द्वारा अपीलांट का रोही पीपासर के खसरा न. 81 में 25 बीघा तथा चक अमरपुरा के खसरा न. 12 में 22 बीघा कुल 47 बीघा रकबा खारिज कर दिया, के विरूद्ध पेश की गई है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री राजवीर भादू उपस्थित हुए तथा रेस्पोडेंट की ओर से पैरोकार राज हाजिर आये। अधीनस्थ न्यायालय का संबंधित मूल अभिलेख मंगवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। बहस उभय पक्ष सुनी गई।

सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर बहस उभय पक्ष सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि अपीलांट एक सीधा—साधा गरीब अनपढ़ काश्कार है तथा अपने परिवार का पालन पोषण उक्त रकबा से ही करता है। अपीलांट द्वारा सोसायटी लोन के लिए उक्त रकबा की रिपोर्ट दिनांक 02.05.2015 को तहसील कार्यालय में मूल आवंटन पत्रावली की नकल हेतु आवेदन किया। उक्त नकल दिनांक 17.06.2015 को प्राप्त हुई। तब अपीलांट को पता चला की अधीनस्थ न्यायालय के जैर अपील आदेश द्वारा अपीलांट का रकबा खारिज किया जा चुका है। जैर अपील रकबा अपीलांट को दस साला (गैर खातेदार) आवंटन था। आवंटन की दिनांक से लेकर आज तक उक्त रकबा पर अपीलांट का कब्जा काश्त बदस्तुर चला आ रहा है। अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को बिना सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान किये बिना अपने ही कयासों के आधार पर अपीलांट के पिता की भूमि का गलत विवरण एवं [illegible] के शामिल शेयर का गलत अंकन करते हुए अपीलांट का रकबा खारिज कर दिया। [illegible] अपील [illegible] आदेश की जानकारी होते ही यह अपील पेश कर दी है। अपीलांट द्वारा जानबूझ कर देरी नहीं [illegible]। न्यायिक दृष्टांत आरबीजे 2018 पेज में भी यह सिद्धान्त प्रतिपादित [illegible] प्रकरण को अन्दर मियाद [illegible] किया जाना चाहिए ताकि अपीलार्थी को मौलिक [illegible] सके। जैर अपील रकबा अपीलांट आवंटनशुदा रकबा है, जिस पर अपीलांट के मौलिक हित निहित है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Deenanath Babbal
Date: 2026.05.14 16:55:45 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़

Scanned with OKEN Scanner

5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे तथा प्रकरण का गुणावगुण पर निस्तारण किया जावे।

पैरोकार राज ने मियाद प्रार्थना पर बहस करते हुए कथन किया कि जैर अपील आदेश दिनांक 09.07.1976 का है तथा यह अपील दिनांक 06.07.2015 को लगभग 39 साल बाद पेश की गई है जो पूर्णतः मियाद बाहर है। अपीलांट को जैर अपील आदेश की पूर्णतः जानकारी थी। 39 वर्ष बाद अपील पेश करने पर अपीलांट को मियाद बिन्दु का लाभ नहीं दिया जा सकता। अतः मियाद प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे तथा अपील अपीलांट भी इसी स्तर पर खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश यथावत रखा जावे।

हमने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर उभय पक्ष द्वारा की गई बहस पर मनन किया तथा हस्तगत पत्रावली एवं अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। जिससे पाया कि जैर अपील आदेश दिनांक 09.07.1976 को पारित किया गया था। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली आदेशिका दिनांक 09.07.1976 पर उसके हस्ताक्षर से साबित है कि उसे जैर अपील आदेश की पूर्णतः जानकारी थी। अपीलांट द्वारा मियाद प्रार्थना में जो कारण बताया है वह सन्तोषप्रद नहीं है। 39 वर्ष पश्चात अपील पेश करने हेतु कोई ठोस कारण भी स्पष्ट नहीं किया गया है।

अतः प्रार्थी द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम खारिज किया जाता है तथा अपील अपीलांट भी इसी स्तर पर खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख वापिस लौटाया जावे। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दीनानाथ बब्बल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री ढूंगानगर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Deenanath Babbal
Date: 2026.05.14 16:55:45 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner